

जनधन को छोड़ अन्य बैंक खाता खुलवाने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री जन-धन योजना को छोड़कर अन्य प्रकार के बैंक खाते खुलवाने के लिए पैन कार्ड अब अनिवार्य हो जायेगा। राजस्व सचिव ने पैन कार्ड की अनिवार्यता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पचास हजार रुपये से अधिक के होटल बिल के भुगतान या विदेश यात्रा के टिकट की खरीद के लिये एक जनवरी से पैन का उल्लेख अनिवार्य हो जायेंगे।